।। न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

प्रकरण संख्या – प्रार्थना–पत्र 12/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्री मुल्तानसिंह पुत्र श्री करनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोडरडी तहसील पोकरण जिला जैसलमेर		1. तहसीलदार पोकरण जिला जैसलमेर 2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर ,जैसलमेर 3. श्री रघुवीरसिंह पुत्र श्री नन्दलाल जाति ब्राहम्ण निवासी पोकरण जिला जैसलमेर 4. श्री हरचन्दराम पुत्र श्री फुसलाराम जाति मेघवाल निवासी चाचा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर 5. श्री हाथीराम पुत्र श्री उरजाराम जाति मेघवाल निवासी राजमथाई तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर 6. श्री हनीफाराम पुत्र साबुराम जाति मेघवाल निवासी राजमथाई तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर 7. गीताजंली कंवर पुत्री श्री चन्दनसिंह जाति राजपूत निवासी मोडरडी तहसील पोकरण जिला जैसलमेर 8. भारतीय स्टेट बैंक शाखा पोकरण जिला जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः

1. श्री विमलेश कुमार पुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री चन्दनसिंह अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 3, 4, 6 एवं 7 की ओर से
3. तहसीलदार जैसलमेर पैरोकार राज अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से
4. अप्रार्थी संख्या 4 एवं 8 अनुपस्थित

आदेश दिनांक 08– 05–2019

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि उसकी ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पोकरण के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो शीर्षक मुल्तानसिंह बनाम तहसीलदार पोकरण व अन्य संख्या 72/2015 पर दर्ज होकर विचाराधीन है। उक्त वाद में अन्य प्रतिवादीगण के अलावा गीतांजली कंवर पुत्री चन्दनसिंह निवासी मोडरड़ी जो अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह की पुत्री है, प्रतिवादी है। राजस्व न्यायालयों में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी हेतु तहसीलदार पोकरण एवं नायब तहसीलदार पोकरण स्थाई तौर पर नियुक्त हैं। उक्त श्री चन्दनसिंह अधिवक्ता राजस्व न्यायालयों में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त नहीं है एवं न ही कोई अन्य अधिवक्ता इस हेतु नियुक्त है। तहसीलदार पोकरण ने अपनी ओर से पैरवी हेतु उक्त श्री चन्दनसिंह अधिवक्ता का वकालतनामा उक्त न्यायालय में बामिलावट पेश करवा दिया है जबकि ऐसा किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त श्री चन्दनसिंह की पुत्री उक्त वाद में पक्षकार है एवं इस स्थिति में श्री चन्दनसिंह अधिवक्ता को राज्य पक्ष की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त भी नहीं किया जा सकता। उक्त श्री चन्दनसिंह अधिवक्ता का उक्त वाद के पीठासीन अधिकारी एवं अधीनस्थ कार्मिकों पर व्यक्तिगत प्रभाव है जिसके चलते वे प्रकरण में इच्छित दिनांक की पेशी लेने में सफल रहे हैं। प्रार्थी का कथन है कि उसे नीयत दिनांक को आगामी तारीख पेशी अवगत नहीं कराई जाकर इसकी गैर मौजूदगी में नजदीकी तारीख पेशी दे दी जाती हैं। प्रार्थी का कथन है कि उक्त श्री चन्दनसिंह अधिवक्ता के पीठासीन अधिकारी पर व्यक्तिगत प्रभाव के कारण उक्त वाद में उक्त न्यायालय द्वारा प्रार्थी के साथ न्याय नहीं किया जायेगा और उनसे न्याय मिलने की कतई आशा नहीं है। प्रार्थी ने न्यायहित में उक्त वाद प्रकरण अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया है।

जिला कलक्टर
जैसलमेर

प्रार्थना–पत्र का अप्रार्थी संख्या 6 हनीफाराम की ओर से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रश्नगत भूमि उसके द्वारा दिनांक 02.07.2012 को हाथीराम पुत्र उरजाराम मेघवाल निवासी राजमथाई से क्रय की थी। उक्त हाथीराम ने भूमि हरचंदराम पुत्र कुशलाराम मेघवाल निवासी चाचा से क्रय की थी जिसे भूमि आवंटित हुई थी। जबाब में उक्त वाद प्रकरण की दायरी व क्षेत्राधिकार को भी प्रश्नगत किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 3 रघुवीर उर्फ रूघनाथ की ओर से प्रार्थना–पत्र के जबाब में प्रस्तुत किया गया है कि उसे वर्ष 1990 में प्रश्नगत भूमि आवंटित हुई थी जिसे सन् 2005 में उसने गीतांजली पुत्री श्री चन्दनसिंह को विक्रय कर दी थी।

अप्रार्थी संख्या 7 गीतांजली की ओर से प्रार्थना–पत्र के जबाब में प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद उक्त न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में नहीं है। श्री चन्दनसिंह अधिवक्ता पेनल लायर नियुक्त है। पेनल लायर को पैरवी के लिये नियुक्त किया जा सकता है। उनकी ओर से प्रार्थना–पत्र खारिज करने का अनुरोध किया गया।

अप्रार्थी संख्या 5 हाथीराम की ओर से प्रार्थना–पत्र के जबाब में कथन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि हरचंदराम पुत्र फूसाराम निवासी चाचा को वर्ष 1990 में आवंटन हुई थी, जिससे उसने खरीद कर सन् 2011 में हनीफाराम अप्रार्थी संख्या 6 को बैचान कर दी है व उक्त जमीन में उसका कोई हक हिस्सा नहीं है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पोकरण ने प्रार्थना–पत्र के जबाब में प्रतिवेदित किया है कि वाद संख्या 72/2015 जबाब की स्टेज पर विचाराधीन है। प्रार्थना–पत्र का बिन्दु संख्या 2 सही होना कथन किया गया है। बिन्दु संख्या 2 में तहसीलदार/नायब तहसीलदार का राजस्व न्यायालयों में पैरवी के लिये नियुक्त होने का कथन है। जबाब में तहसीलदार पोकरण द्वारा अपनी ओर से पैरवी के लिये श्री चन्दनसिंह अधिवक्ता का वकालतनामा देने को स्वीकार किया गया है। बिन्दु संख्या 4 से 6 तहसीलदार पोकरण से संबंधित बनाये गये है। आगे कथन किया गया कि तारीख पेशी प्रकरण की नेचर के अनुसार दी जाती है। बिन्दु संख्या 7 जो श्री चन्दनसिंह अधिवक्ता के प्रभाव के संबधं में है, को अस्वीकार किया गया है। जबाब में प्रकरण में पारित किये जाने वाले आदेश अनुसार कार्यवाही करना उल्लेखित किया गया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पोकरण के न्यायालय में विचाराधीन उक्त वाद में राज्य पक्ष की ओर से अनाधिकृत रूप से पैरवी की जा रही है व इस हेतु वे सक्षम स्तर से नियुक्त नहीं है। उक्त वाद में उक्त श्री चन्दनसिंह की पुत्री गीतांजली पक्षकार है ऐसी स्थिति में राज्य पक्ष की ओर से विधि सम्मत पैरवी की उनसे अपेक्षा नहीं रहती। उक्त श्री चन्दनसिंह सरकारी पक्ष की ओर से पैरवी की आड़ में वाद निर्णय प्रभावित करने की स्थिति में है। अतः न्यायहित में उक्त वाद अन्य न्यायालय को स्थानान्तरण किया जाये।

अप्रार्थीगण संख्या 3, 4, 6 व 7 के अधिवक्ता का तर्क रहा कि वर्षो पूर्व आवंटित सीलींग भूमि गीतांजली ने क्रय की है व वाद रंजिश के कारण लाया गया है जिसको दर्ज करने का भी आधार नहीं रहा है। उनका तर्क रहा की वे 25 वर्षो से सीलींग मामलों में पेनल लायर है। पूर्व पीठासीन अधिकारी बदल गये है और प्रार्थना–पत्र में किये कथन अनुसार उनका पीठासीन अधिकारी पर कोई प्रभाव नहीं है। उन्होंने वाद दायर होने को ही गलत होना कथन कर तर्क रखा कि वे सरकार की पैरवी करते आ रहे है। उन्होंने प्रार्थना–पत्र अस्वीकार करने का अनुरोध किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने खण्डन में कथन किया कि 25 वर्षो से पेनल लायर नियुक्त होना अभिलेख पर नहीं है। पैरवी के लिये वकालतनामा दिया हुआ है जो अभिलेख पर है।

पैरोकार राज ने अपने तर्क में प्रकरण में गुणावगुण आधार पर आदेश पारित करने का अनुरोध किया ।

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अध्ययन किया गया । उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 07 के पिता श्री चंदनसिंह पैरोकार राज के रूप में उपस्थित हुये, जो कि बिना सक्षम स्वीकृति के उचित नहीं है एवं जिस प्रकरण में उनकी बेटी ही अप्रार्थी/प्रतिवादी हो ऐसे प्रकरण में राज्य सरकार की तरफ से उनका उपस्थित होना उचित नहीं था तथा यह किसी भी पक्षकार के मन में संशय उत्पन्न कर सकता है । यह न्याय का प्रतिस्थापित सिद्वांत है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए पर होते हुए दिखना भी चाहिए । अतः न्यायहित में तथा पूर्वाग्रह की किसी भी संभावना को जड़ से ही समाप्त करने के लिए यह उचित समझता हूँ कि पत्रावली स्थानान्तरित (Transfer) की जाए । अतः प्रार्थी का धारा 235 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पोकरण के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 72/2015 अनवान मुल्तानसिंह बनाम तहसीलदार पोकरण व अन्य को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भणियाणा में स्थानान्तरित (Transfer) किया जाता है । दोनों पक्षकार स्वयं के खर्चे वहन करेंगे । तहसीलदार पोकरण को निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त वाद में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी वे स्वयं करें तथा उक्त वाद में बिना सक्षम स्वीकृति के राज्य पक्ष की ओर से पैरवी हेतु वकालतनामा दे रखा है तो उसे प्रत्याहरित किया जावे तथा भविष्य में जिन राजस्व वाद/प्रकरण में राज्य सरकार के पक्ष की ओर से पैरवी के लिये पेनल लायर नियुक्त किया जाना वांछनीय अनुभव किया जाये उस वाद/प्रकरण में पेनल लायर नियुक्त करने का प्रस्ताव औचित्य सहित जिला कार्यालय को भिजवाया जाये। बिना सक्षम स्वीकृति के तहसीलदार के स्तर पर पेनल लायर की नियुक्ति किये जाने पर गंभीरता से लिया जावेगा तथा विभागीय कार्यवाही भी की जावेगी ।

आज दिनांक 08–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
जैसलमेर

जिला कलक्टर
जैसलमेर